उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

वेतन एवं लेखा अनुभाग Pay & Accounts

CIN: U32201UP1999SGC024928

14-Ashok Marg, Shakti Bhawan Lucknow, 14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

पत्रांक–................................/उ0म0प्र0/पंचम–राज0/ दिनांक– दिसम्बर, 2016

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वित्त, लेखा एवं सम्प्रेक्षा),
मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/पूर्वान्चल/दक्षिणॉचल,
विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं
केस्को कानपुर।

विषयः– अवर अभियन्ताओ के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–852–काविनी एवं वे0प्र0–29 दिनांक 07.10.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–1090–काविनी एवं वे0प्र0–29 दिनांक 21.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के माध्यम से अवर अभियन्ताओ को दिनांक 31.12.2015 को अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4200 में रू0 400 का विशेष फिटमेन्ट ग्रेड वेतन जोड़ते हुए दिनांक 31.12.2015 से रू0 4600 ग्रेड वेतन एवं इसके सापेक्ष प्रारम्भिक प्रविष्टि/न्यूनतम वेतन रू0 12540 इस प्रतिबन्ध सहित अनुमन्य कराये जाने के आदेश किये गये है कि इसके फलस्वरूप दिनांक 07.10.2016 तक किसी भी प्रकार के अवशेषो का भुगतान देय न होकर दिनांक 08.10.2016 से वास्तविक भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त के अनुपालन में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय क्षेत्रीय कार्यालयो द्वारा अवर अभियन्ताओ के वेतन निर्धारण में दिनांक 31.12.2015 से पूर्व की तिथि से ही रू0 4600 ग्रेड वेतन एवं तद्नुसार प्रविष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन रू0 12540 निर्धारित किया जा रहा है जो कारपोरेशन के उपरोक्त संदर्भित आदेशो के सर्वथा विपरीत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कारपोरेशन के उक्त आदेशो के अनुसार अवर अभियन्ताओ को दिनांक 31.12.2015 से ही रू0 4600 ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जाना है तथा इस से पूर्व की तिथि को रू0 4200 ग्रेड वेतन पूर्ववत ही अनुमन्य होगा। दिनांक 31.12.2015 से न्यूनतम/प्रविष्टि वेतन रू0 12540 मात्र ऐसे अवर अभियन्ताओ को अनुमन्य कराया जायेगा जिनका बैण्ड वेतन दिनांक 31.12.2015 को रू0 12540 से कम है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय लेखा कार्यालयो एवं इकाईयों को कारपोरेशन के उक्त संदर्भित आदेशो के अनुसार उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए वेतन निर्धारण की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(एस.के. शुक्ला)
उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

पत्रांक–7667/उ0म0प्र0/पंचम–राज0/दिनांक–30/12/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक (परि0 मध्य)/(परि0 पूर्व)/(परि0 पश्चिम)/(परि0 दक्षिण) उ0प्र पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
3. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(एस.के. शुक्ला)
उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)